न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 67 / 2021

राधेश्याम पुरोहित पुत्र स्व0 श्री पूरनाराम ग्राम फतेहपुर कलां पोस्ट मूडौती तहसील नगर जिला भरतपुर।

बनाम

प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 20.09.2021

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है राधेश्याम पुरोहित पुत्र स्व0 श्री पूरनाराम ग्राम फतेहपुर कलां पोस्ट मूडौती तहसील नगर जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 05.07.2021 प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सूचना चाही गई थी। प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/547 दिनांक 19.08.2021 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से उनके पत्र कमांक 5744 दिनांक 13.09.2021 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जबाब पत्र कमांक 5744 दिनांक 13.09.2021 का अवलोकन किया गया। प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जबाब पेश करते हुये अपीलार्थी को प्रेषित पत्र कमांक 5258 दिनांक 04.08.2021 की प्रति भी भिजवाई गई है, जिसमें अपीलान्ट को सूचित किया गया है कि दिनांक 08.10.2020 के परिवाद की प्रति उपलब्ध करावे ताकि आपको वांछित सूचना उपलब्ध करायी जा सके। इससे जाहिर होता है कि रेस्पो. ने अपीलांट को वांछित सूचनाऐं प्राप्त करने हेतु सूचना दी जा चुकी हैं।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर को भी भेजी जावे।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर